न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 –160/2020(2020/00206)

अनवान : –

1. कौरसिंह पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. बनवारीलाल उर्फ बनवारी पुत्र खिराज जाति जाट निवासी भांगवा त0 भादरा।
2. महावीर पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा।
3. जयपाल पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा।
4. जयसिंह पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा।
5. राजाराम पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा।
6. रोशनी पत्नी सुल्तानसिंह पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी भांगवा त0 भादरा।
7. भावना पुत्री सुलतानसिंह जरिये माता रोशनी पत्नी सुलतान जाति जाट निवासी भांगवा त0 भादरा।
8. भूपेन्द्र पुत्री सुलतानसिंह जरिये माता रोशनी पत्नी सुलतान जाति जाट निवासी भांगवा त0 भादरा।
9. कृष्णा पुत्री बनवारीलाल जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री पवन सिहाग वादी
श्री रोहताश शर्मा प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांकः 08/01/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भांगवा के खाता संख्या 19/22 के खसरा नं0 276 की 17.4800 हैक्टयर बारानी खातेदारी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 4149/12 हिस्सा यानि 4.3737 हैक्टेयर तथा रोही मौजा अजीतपुरा के खाता संख्या 184/124 के खसरा नम्बर 2 की 11.002 हैक्टयर, खसरा संख्या 30 की 5.8550 हैक्टयर कुल 16.8517 हैक्टयर बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 बनवारी के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.03.03 10:57:42 IST
Reason: SelfAttested

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादीगण के दादा खिराज की खातेदारी हुआ करती थी। खिराज से वादभूमि जो प्रतिवादी बनवारी ने कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी बनवारी ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी बनवारी के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 बनवारी को वादी के दादा खिराज से विरासतन प्राप्त हुई है जो ग्राम भांगवा सम्वत 2035–47 व ग्राम अजीतपुरा जमाबन्दी सम्वत 2036 खाता संख्या 58 व 63 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादिया संख्या 9 वादी की बहिन है, जिन्होंने अपना हक व हिस्सा की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 एवं 6 ता 8 को संयुक्त रूप से हिस्सा बराबर तर्क किया हुआ है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 9 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तसदीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी कौरसिंह पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी भांगवा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में ग्राम भांगवा सम्वत 2071–74 खाता संख्या 19/22 प्रदर्श 1, जमाबन्दी अजीतपुरा सम्वत 2074–77 खाता संख्या 184/124 प्रदर्श 2, जमाबन्दी भांगवा सम्वत 2038–41 खाता संख्या 22 प्रदर्श 3, जमाबन्दी अजीतपुरा सम्वत 2037 खाता संख्या 69/58 प्रदर्श 4, सरपंच ग्राम पंचायत भांगवा द्वारा जारी सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श 5, ग्राम अजीतपुरा सम्वत 2074–77 खाता संख्या 685/642 प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया तथा प्रतिवादी बनवारी के नाम ग्राम अजीतपुरा के खाता संख्या 685/642 के खसरा नम्बर 66 की कुल 5.829 हैक्टेयर कृषि भूमि में से 80 हिस्सा भूमि को अपने स्वयं के नाम रखने हेतु कथन किया एवं शेष रोही मौजा भांगवा के खाता संख्या 19/22 एवं अजीतपुरा के खाता संख्या 184/124 में अपने हिस्से में आने वाली भूमि को अपने वारिसों को बहिस्सा देने हेतु निवेदन किया गया। वकील वादी ने मुताबिक राजीनामा डिक्री करने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक [illegible] व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्त[illegible] वाद[illegible]दी ने रोही मौजा भांगवा के खाता संख्या 19/22 के खसरा [illegible] बारानी खातेदारी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 4149/12 हिस्सा यानि 4.3737 हैक्टेयर तथा रोही मौजा अजीतपुरा के खाता संख्या 184/124 के खसरा नम्बर 2 की 11.002 हैक्टयर, खसरा संख्या 30 की 5.8550 हैक्टयर कुल 16.8517 हैक्टयर बारानी खातेदारी भूमि प्रतिवादी सं0 1 बनवारी के नाम 1/4 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें वाद

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.03.08 10:57:42 IST
Reason: SelfAttested

भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 9 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भांगवा के खाता संख्या 19/22 के खसरा नं0 276 की 17.4800 हैक्टयर बारानी खातेदारी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 4149/12 हिस्सा यानि 4.3737 हैक्टेयर तथा रोही मौजा अजीतपुरा के खाता संख्या 184/124 के खसरा नम्बर 2 की 11.002 हैक्टयर, खसरा संख्या 30 की 5.8550 हैक्टयर कुल 16.8517 हैक्टयर बारानी खातेदारी भूमि प्रतिवादी सं0 1 बनवारी के नाम 1/4 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। **उसमें प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी कौर सिंह व प्रतिवादी संख्या 2 महावीर, प्रतिवादी संख्या 3 जयपाल, प्रतिवादी संख्या 4 जयसिंह, प्रतिवादी संख्या 5 राजाराम को 1/6 बहिस्सा बराबर एवं प्रतिवादी संख्या 6 रोशनी, प्रतिवादी संख्या 7 भावना व प्रतिवादी संख्या 8 भूपेन्द्र को संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** प्रतिवादी संख्या 9 द्वारा त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08/01/2021... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.03.03 10:57:42 IST
Reason: SelfAttested

(जयसिंह)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़